

भारत सरकार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
जैवप्रौद्योगिकी विभाग
डीबीटी/पीसीएच/जन/01

ब्लाक-2, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 7 जून, 2012

अधिसूचना

विषय: जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तीय सहायता प्रदत्त परियोजनाओं के लिए प्रकाशन /पेटेन्ट/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण दस्तावेजों की पावती सूचना भेजने की धारा के अंतर्गत संदर्भ/अनुदान संख्या को शामिल करना अनिवार्य बनाना ।

जैवप्रौद्योगिकी विभाग बाहरी अनुदानों और विभिन्न स्कीमों के जरिए भारत में जीवन विज्ञान और जैवप्रौद्योगिकी पहलों को सहायता प्रदान कर रहा है । वित्तीय सहायता सार्वजनिक और निजी संगठनों, दोनों, के कार्यक्रमों को दी जाती है ।


2. अनुदान की शर्तों अर्थात अनुलग्नक-IV, के अनुशरण में डीबीटी ने सार्वजनिक और निजी संगठनों के लाभार्थियों के लिए वैज्ञानिक प्रकाशनों, पेटेन्टों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण दस्तावेजों इत्यादि की पावती सूचना भेजने की धारा के अंतर्गत (जहां कहीं कानून के अंतर्गत अनुमेय हो) अपने संदर्भ/अनुदान सं० (अर्थात बीटी/आईएनएफ/22/1/2007) को शामिल करके डीबीटी से प्राप्त वित्तीय सहायता की पावती भेजने के कार्य को अनिवार्य बना दिया है ।

3. पावती की शर्तें निम्न प्रकार से हैं:-

- क. संदर्भ/अनुदान सं०, विभाग का नाम और तिथि सहित वित्तीय सहायता की अवधि को शामिल करना अनिवार्य है
ख. बहु-एजेन्सी सहायता के मामले में अन्य एजेन्सियों द्वारा निर्धारित शर्तों का भी अनुपालन किया जाएगा

4. जैवप्रौद्योगिकी विभाग, अधिसूचना के उल्लंघन के मामले में उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

5. अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी ।


(डॉ. रजनीश के. गौड़)
वैज्ञानिक 'सी'डीबीटी

Government of India
Ministry of Science and Technology
Department of Biotechnology
DBT/PCAH/Gen/01


Block-2, CGO complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110003
Dated: 7th June, 2012

NOTIFICATION

SUB: Mandatory inclusion of Reference/Grant number under acknowledgement section of publications/patents/technology transfer documents for the project(s) financially supported by Department of Biotechnology

Department of Biotechnology (DBT) is supporting Life Science and Biotechnology initiatives in India through Extramural Grants and different schemes. The financial support is provided to programmes of both public and private organizations.

2. In continuation of the Terms and Conditions of the Grant i.e. Annexure-IV, DBT has made it MANDATORY for the beneficiaries of the public and private organizations to acknowledge the financial support received from DBT via inclusion of its Reference/Grant number (e.g. BT/INF/22/1/2007) under acknowledgement section of scientific publications, Patents and Technology transfer documents etc. (wherever permitted by law).
3. The conditions of acknowledgement are as follows –
 - A. Mandatory to include Reference/Grant number, Name of the Department and the duration of the financial support including the dates
 - B. In case of Multi-agency support, the terms and conditions laid down by other agencies may also be followed
4. Department of Biotechnology reserve the right to take appropriate action in case of violation of the notification.
5. The notification will be effective with immediate effect.


(Dr. Rajneesh K. Gaur)
Scientist 'C', DBT